दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति की मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी, 1979 को तीसरे पहर 3.30 बजे प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट।

उपस्थित :-

अध्यक्ष

1. श्री दलीप राय कोहली,
   उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण।

सदस्य (गैर-सरकारी)

2. श्री दयाल सिंह,
   पार्षद, नगर निगम दिल्ली।
3. श्री बख्शी राम,
   पार्षद, नगर निगम दिल्ली।
4. श्रीमती सुमित्रा चरत राम।
5. श्री हरि किशन पाठक।
6. श्री आर०एल०सहदेव।

(सरकारी)

7. श्री एन०एम०राणा,
   चीफ आर्किटेक्ट (सी०पी०डब्ल्यू०डी०)।
8. श्री एन०एस०मेहता,
   चीफ आर्किटेक्ट, नगर निगम दिल्ली।

क्रमशः :::::::

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Minutes of the Meeting of the Advisory Council of the Delhi Development Authority held on Tuesday, the 23rd January, 1979 at 3.30 P.M. in the Conference Room of the Vikas Minar, New Delhi.

Present:

President

1. Shri D.R. Kohli, Lt. Governor/Chairman, DDA

Members

Non-official

2. Shri Dayal Singh, Councillor, M.C.D.
3. Shri Bakshi Ram, Councillor, M.C.D.
4. Smt. Sumitra Charatram
5. Shri Hari Krishan Pathal
6. Shri R.L. Sehdev

Official

7. Shri M.M. Rana, Chief Architect (C.P.W.D.)
8. Shri M.S. Mehta, Chief Architect, M.C.D.
9. Shri R.C. Jain, Chief Engineer (Roads) Ministry of Shipping & Transport.
10. Shri S. Venkatesan, Ex-Engineer(Roads Wing) Ministry of Shipping & Transport.

    } They represented Shri J.S. Marya, Director General (R&D), Ministry of Transport, New Delhi.

11. Shri N.K. Aggarwal

    } He represented Shri R.K. Dingra, Addl. General Manager(Telephones) Eastern Court, Inspection Quarter, New Delhi.

9. श्री आर०सी०जैन,
मुख्य अभियन्ता (सड़कें)
शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ।

10. श्री एस०वेंकटेशन,
एक्जीक्यूटीव इंजीनियर (सड़क विभाग),
शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ।

} श्री जे०एस०भाया,
महानिदेशक (आर एण्ड डी)
ट्रांसपोर्ट मंत्रालय,
नई दिल्ली, के
प्रतिनिधि ।

11. श्री एन०के०अग्रवाल,

} श्री आर०के०ढींगरा,
अतिरिक्त महाप्रबन्धक,
(दूरभाष), ईस्टर्न कोर्ट,
नई दिल्ली, के प्रतिनिधि ।

12. श्री ए०फौनसेका,
डिप्टी डायरेक्टर (जनरल),

13. श्री के०सुब्रह्मणायम,
सहायक निदेशक (जनरल) ।

} श्री जे०एस०पनवालन,
निदेशक, लैन्ड एण्ड कन्टोन्मेंट,
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली,
के प्रतिनिधि ।

सचिव

14. श्री जी०सी०श्रीवास्तव ।

विशेष आमंत्रित

15. श्री एम०एन०बुच,
उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

16. श्री पी०वी०कृष्णामूर्ति,
वित्त सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

17. श्री एस०आर०गंडोत्रा,
हाउसिंग कमिश्नर ।

18. श्री लोकेश्वर प्रसाद,
मुख्य विधि सलाहकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

19. सयैद एस०शफि,
योजना सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

20. श्री आर०जी०गुप्ता,
डायरेक्टर स्पेशल प्लानिंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

क्रमशः ::::::::

12. Shri A. Fonseca, Deputy Director(General).
13. Shri K. Subramanian, Asstt. Director(General)

) They represented Shri J.S. Menavalan, Director General (Roads & Cantt., ment) Min. of Defence New Delhi.

Secretary

14. Shri G.C. Srivastava

Special Invitees

15. Shri M.N. Buch, Vice-Chairman, DDA.

16. Shri P.V. Krishnamurty, Finance Member, DDA.

17. Shri S.R. Gandotra, Housing Commissioner,

18. Shri Lokeshwar Parashad, Chief Legal Adviser, DDA.

19. Syed S. Shafi, Planning Member, DDA.

20. Shri R.G. Gupta, Director, Special Planning, D.D.A.

Item No.1 Sub:- Confirmation of the minutes of the last meeting of the Advisory Council held on 28th February, 1978.

Minutes of the last meeting of the Advisory Council held on 28th February, 1978 were confirmed.

Item No.2 Sub:- A draft note on Delhi Master Plan (1961-1981) and for the new Perspective Plan for Delhi (2001).

The Advisory Council noted the observations regarding objectives of the new Master Plan for Delhi. In addition the Council suggested that the following points should be taken into consideration while formulating the new Master Plan:-

(i) The Master Plan should have a regional concept covering proposed development not only in Delhi but also in surrounding

मद संख्या
1

विषय :- सलाहकार समिति की 28 फरवरी, 78 को हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट की पुष्टि ।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए ।

मद संख्या
2

विषय :- दिल्ली मुख्य योजना (1961-1981) तथा दिल्ली नई परिप्रेक्ष्य योजना (2001) विषय पर टीप का प्रारूप ।

सलाहकार समिति ने दिल्ली की नई मुख्य योजना से सम्बन्धित पर्यवेक्षणों को नोट किया । इसके अतिरिक्त समिति ने सुझाव दिया कि नई मुख्य योजना को प्रतिपादित करते समय निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए ।

(1) मुख्य योजना में दिल्ली ही नहीं बल्कि चतुर्दिक पडोसी राज्यों के भी क्षेत्रों के विकास के संबंध में क्षेत्रीय धारणा होनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए विकास कार्यक्रम को समन्वित पद्धति से प्रतिपादित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है ताकि पडोसी क्षेत्रों में अन्य विकास केन्द्र उपलब्ध कराकर रोजगार के अच्छे अवसरों की खोज के लिए आने वाली जनसंख्या पर अंकुश लगाया जा सके ।

(2) दिल्ली में व्यवसायिक क्षेत्रों का अभाव है, अनेक आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक स्थलों की गहन आवश्यकता अनुभव की जाती है । मुख्य योजना को प्रतिपादित करने के लिए इस आशय का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि क्या सभी क्षेत्रों में निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवसायिक केन्द्र है, यह पुर्नअवलोकन पुराने क्षेत्रों के संबंध में भी किया जाना चाहि

areas of neighbouring States. For this purpose a high level committee could be constituted to formulate development programmes in a co-ordinated manner so that migration of population to Delhi in search of better opportunities is checked by making other growth centres available in the neighbourhood.

(ii) Delhi is short of commercial areas. In many residential areas acute need of commercial places is felt. Before the Master Plan is formulated a survey should be conducted even in old areas to review whether all the areas have sufficient commercial complexes to cater to daily needs of the residents. While establishment of big offices or commercial organisations in residential areas has to be discouraged, certain facilities like locality oriented travellers banks, shops for items of daily use etc. should be provided in residential areas. In this manner mixed land use has to be permitted to a limited extent, perhaps even by converting a part of residential area into commercial.

(iii) Certain areas specially in New Delhi are devoid of community facilities like Hospitals, dispensaries etc. A survey of such residential areas should b[illegible]ried out to find out whether these f[illegible]ies are available in all the areas [illegible]ding to certain standard norm[illegible]

कि क्या सभी क्षेत्रों में निवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवसायिक केन्द्र हैं, यह पुनर्अवलोकन पुराने क्षेत्रों के संबंध में भी किया जाना चाहिए जबकि आवासीय क्षेत्रों में बड़े कार्यालयों या व्यवसायिक संगठनों को हतोत्साहित करना है । अत: आवासीय क्षेत्रों में बैंकों की स्थानीयताधारित शाखाओं, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की दुकानों आदि जैसी कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस पद्दति के लिए एक मर्यादित सीमा तक निश्चित भूमि प्रयोग की पद्दति की अनुमति दी जानी है । भले ही इसके लि आवासीय क्षेत्र अंशत: व्यवसायिक परिवर्तित कर दिय जाए।

§3§ कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से नई दिल्ली में अस्पतालों औ डिस्पेंसरियों जैसी सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है क्या सभी क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसका लगाने के लिए कुछ मानक मानदण्डों के अनुसार ऐसे आव आवासीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए ।

§4§ परिवहन पद्दति पर दबाब हटाने के लिए आवासीय क्षेत्रों विशेष रूप से पुनर्वास कालोनियों के पास रोजगार के अवसरों की व्यवस्था के प्रयास किये जाने चाहि

§5§ औद्योगिक मजदूरों के लिए आवास को दिल्ली में बहुत कम प्राथमिकता दी जा रही है । क्या वर्तमान उद्योगों के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मकान उपलब्ध हैं यदि नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है । इसके पता लगाने के

(iv) In order to reduce pressure on transport system, efforts should be made to provide employment opportunities near residential areas, particularly near J.J.R. Colonies.

(v) Housing for industrial workers has been receiving very low priority in Delhi. Special survey and a study in depth may be carried out to find out whether sufficient houses are available for workers of existing industries and if not, how the situation can be remedied. It may also be examined, whether, while granting permission for new industries of certain magnitude, a pre-condition for making provision for workers 'housing may be laid down. This could be based on the principle of providing housing to specified per centage of labour population of the industry.

(vi) While alloting land to housing Cooperative Societies, a scheme may be formulated, so as to encourage labour and economically weaker sections of the people.

(vii) As far as possible DDA should built houses only for economically weaker sections, community service personnel and Janta and low income groups.

(viii) DDA should estimate requirements of essential services in different areas independent of the assessment done by the Municipal Corporation to ensure that

लिए विशेष सर्वेक्षण एवं गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। इस बात की भी जांच की जाए कि क्या इन्हीं आकार के नये उद्योगों को अनुमति देते समय उसके कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने से संबंधित कोई पूर्व शर्त भी निर्धारित की जा सकती है। यह उद्योग की श्रम संख्या के एक विशिष्ट प्रतिशत के लिए आवास व्यवस्था करने के सिद्धान्त पर आधारित हो सकती है।

§6§ हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटियों को भूमि आबंटित करते समय एक योजना प्रतिपादित की जाए ताकि श्रमिकों एवम् आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को प्रोत्साहन मिले।

§7§ जहां तक सम्भव हो दिल्ली विकास प्राधिकरण को, केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, समुदाय सेवी वर्ग, जनता वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनवाने चाहिए।

§8§ दिल्ली विकास प्राधिकरण को विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य सेवाओं की आवश्यकताओं के संबंध में दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए निर्धारण से अलग स्वतन्त्र रूप से आंकलन करना चाहिए ताकि लोगों को उचित व्यवहार उपलब्ध हो सके।

§9§ यह देखा गया है कि समुदाय सेवी वर्ग हेतु उपलब्ध कराये गए मकान कम है। नई दिल्ली क्षेत्र में समुदाय सेवी वर्ग की आवश्यकताओं हेतु आंकलन तैयार किया जाना चाहिए।

मद संख्या 3

विषय :- उन विषयों का कार्य क्षेत्र जिनकी सलाहकार परिषद में चर्चा की जा सकती है और – सलाहकार परिषद, की बैठकों का उद्देश्य।

पैरा 2 में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। वैसे प्रधान, इच्छा व्यक्त की कि सलाहकार समिति को साधारणतया तीन महीने, में बैठक कर लेनी चाहिए।

people get a fair deal.

(ix) It has been observed that the houses available for community service personnel in New Delhi area are inadequate. An assessment should be made of the requirement of C.S.P. housing in New Delhi area.

Item No.3 Sub:-The scope of matters, which may be discussed by the Advisory Council and the purpose of the meetings of the Advisory Council.

The proposal contained in para 2 of the agenda notew approved. The President, however, desired that the Advisory Council should ordinarily hold quarterly meetings.

Item No.4 Sub:-Coverage on plot sizes upto 200 Sq. yds.

The Advisory Council noted the position.

Item No.5 Sub:-Development of land falling in 'Development Area' of the D.D.A.

The position was noted by the Advisory Council.

Item No.6 Sub:-The policy of the DDA to allot commercial plots, shops, etc. to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections including persons belonging to the backward classes.

The position was noted by the Advisory Council.

Item No.7 Sub:-The policy in regard to the rehabilitation of persons whose business/houses were buldozed during emergency.

The Advisory Council noted the position. It was also informed by the Vice-Chairman that

मद संख्या 4

विषय :- 200 वर्गगजों के भूमि के प्लाटों का कव्रेज ।

सलाहकार समिति ने स्थिति नोट कर ली ।

मद संख्या 5

विषय :- दिल्ली विकास प्राधिकरण के "विकसित क्षेत्र" में पड़ने वाली भूमि का विकास ।

सलाहकार समिति ने स्थिति नोट कर ली ।

मद संख्या 6

विषय :- व्यवसायिक भूखण्डों, दुकानों आदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवम् कमजोर वर्ग तथा परगणित जाति के सदस्यों को आबंटित करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति ।

सलाहकार समिति ने स्थिति नोट कर ली ।

मद संख्या 7

विषय :- आपत्तिकाल में ध्वस्त किए गए व्यक्तियों के व्यापार/मकानों के पुनर्वास की नीति के संबंध में ।

सलाहकार समिति ने स्थिति नोट कर ली । उपाध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि उपराज्यपाल द्वारा बनाई गई एक समिति पुनर्वास के उन सभी दावों की जांच कर रही है जिन्हें आपातकाल के दौरान हटाया गया । खिचड़ीपुर क्षेत्र के निष्कान्तों के सम्बन्ध में जांच समिति द्वारा की जाएगी ।

मद संख्या 8

विषय :- दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में सीवर तथा पानी की लाइनें डालने के संबंध में ।

सलाहकार समिति ने निर्णय किया कि कार्यावली टीप के पैरा । में उठाए गए प्रश्न पर उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण आयुक्त दिल्ली नगर निगम से चर्चा करें ।

a Committee formed by the Lt. Governor is looking into all the claims for rehabilitation of those who were removed during Emergency. The problem regarding re-settlement of evictees from Khichripur area will also be looked into by this committee.

Item No.8 Sub:-Laying of sewer and water supply lines in colonies developed by DDA.

The Advisory Council decided that the issue contained in para 1 of the agenda note be discussed by Vice-Chairman, DDA with Commissioner, M.C.D.

Secretary,
Advisory Council,
Delhi Development Authority.

President,
Advisory Council,
Delhi Development Authority.